

राजस्थान सरकार  
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर  
वित्त भवन, ए-ब्लॉक, ज्योति नगर जनपथ, जयपुर-302015  
(दूरभाष नं०:-0141-2740837, फ़ैक्स 0141-2742309, ई-मेल:-jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक : प.(ई)निप/लिक नं.-11841/अलेसे-II/ 367

दिनांक :- 05-07-2024

कार्यालय आदेश

निम्नांकित सहायक लेखाधिकारी-II को उनके आवेदन के अनुसरण में निम्नानुसार उच्च अध्ययन की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क. सं.	लिक नं.	नाम सहायक लेखाधिकारी-II	नाम परीक्षा	आयोजक संस्था	वर्तमान पदस्थापन कार्यालय
1	2	3	4	5	6
1	11841	श्री कमल खन्ना	पी.एच.डी.	डिपार्टमेंट ऑफ विजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर।	अतिरिक्त निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय जोधपुर

उक्त अध्ययन स्वीकृति राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम 1971 के प्रावधानों एवं नियुक्ति आदेश में वर्णित शर्तों तथा वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना दिनांक 19.01.2022 के बिन्दु 03 में उल्लेखित राजस्थान सेवा नियम के नियम-96 में जोड़े गये परन्तुक के अनुसार देय दो वर्ष के असाधारण अवकाश स्वीकृति की सीमा एवं निम्न शर्तों के अधधीन होगी:-

- 1 आपका पदस्थापन मुख्यालय से परिवर्तित/स्थानान्तरित हो जाता है तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त मानी जायेगी।
- 2 अध्ययन जारी रखने की स्वीकृति दिये जाने से किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल सकेगा और इस दौरान अन्यत्र स्थानान्तरण किया जा सकता है।
- 3 अध्ययन जारी रखने से दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा/व्यवधान उत्पन्न होने पर यह स्वीकृति समाप्त कर दी जायेगी।
- 4 अध्ययन वर्ष में उपस्थिति का प्रतिशत कम होने के लिये सरकार/विभाग किसी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा।
- 5 प्रशासनिक कारणों से उक्त स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त की जा सकती है।
- 6 उपरोक्तानुसार अध्ययन स्वीकृति नियमानुसार देय असाधारण अवकाश की पूर्व स्वीकृति की शर्त पर ही देय होगी।

(भूपेश माथुर)  
निदेशक एवं पदेन  
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक : प.(ई)निप/लिक नं.-11841/अलेसे-II/ 367  
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

दिनांक :- 05-07-2024

1. अतिरिक्त निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय जोधपुर
2. निजी सचिव, निदेशक महोदय।
3. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
4. श्री कमल खन्ना, सहायक लेखाधिकारी-II, कार्यालय अतिरिक्त निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय जोधपुर।

निदेशक एवं पदेन  
संयुक्त शासन सचिव

Signature valid

RajKaj Res  
8711467



Digitally signed by Bhupesh Kumar Mathur  
Designation : Director  
Date: 2024.07.05 17:51:17 IST  
Reason: Approved